ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 23/2015-ईआरएस दिनांक : 31 जुलाई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
(बिहार को छोड़कर)

विषय : **01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशिष्ट सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्संबंधी।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यमान नीति के अनुसार, आगामी वर्ष की 1 जनवरी को अर्हक तिथि के संदर्भ में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष के अंतिम भाग में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जाता है, (साधारणतया वर्ष की अंतिम तिमाही में) ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन उत्तरवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस तरीके से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी) के काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाए ताकि नए निर्वाचकों, विशेषकर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार एपिक उन्हें एनवीडी के दिन औपचारिक रूप से वितरित कर दिए जाएं।

2. चूंकि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण वस्तुत: निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के साथ शुरू होता है इसलिए, अत्यधिक विश्वसनीय निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के एकमात्र ध्येय के साथ पुनरीक्षण-पूर्व कार्यकलाप पूरे किए जाने अपेक्षित हैं। आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि पुनरीक्षण-पूर्व कार्यकलापों जैसे ईआरओ/एईआरओ के प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति एवं उनका प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण, मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण, निर्वाचक नामावली की डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए डी-डुप्लीकेशन अभियान चलाना, बाकी रह गए ऐसे निर्वाचकों के लिए फोटोग्राफी अभियान जिनकी फोटो नामावली में उपलब्ध नहीं हैं (बाकी रह गए निर्वाचकों को फोटो लेने के लिए घर-घर जाने का अभियान), एकीकृत नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के लिए सीईओ वेबसाइट तैयार करना तथा सर्च सुविधा प्रदान करना, वेबसाइट में सर्च सुविधा का मानकीकरण, नियंत्रण तालिकाओं एवं डाटाबेस (मतदान

केन्द्र अद्यतनीकरण सहित) का अद्यतनीकरण और नामावलियों का एकीकरण (चाहे वह निर्वाचन वर्ष हो या गैर-निर्वाचन वर्ष), राज्य में स्वीप आदि के लिए विस्तृत कार्य-योजना तैयार करना आदि के लिए कार्यक्रम मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तरीके से तैयार किए जाएं कि ये सभी निरीक्षण-पूर्व कार्यकलाप प्रारूप प्रकाशन की तारीख से काफी पहले पूरे कर दिए जाएं। कार्यक्रम और दी गई समय-सीमा के भीतर निरीक्षण-पूर्व कार्यकलापों के कार्य को पूरा करने की कार्य-योजना की एक प्रति आयोग के सूचनार्थ भेजी जाए। (निरीक्षण-पूर्व कार्यकलाप किए जाने के लिए संक्षिप्त दिशा-निर्देश इसके साथ **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।)

3. आयोग ने 01 जनवरी, 2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। पुनरीक्षण सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (बिहार को छोड़कर) में एक विशिष्ट सार पुनरीक्षण होगा और निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण/निर्वाचकों के पंजीकरण के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुवर्ती अनुदेशों सहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हस्तपुस्तिका, 2012 के अनुसार किया जाएगा।

4. सार पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्याप्त प्रचार एवं जागरूकता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनरीक्षण अनुसूची को मीडिया, राजनैतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों/आर.डब्ल्यू.ए. में उचित प्रकार से प्रचारित करेंगे और निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से पहले निर्वाचकों/पात्र लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाएंगे। प्रारूप नामावलियों के प्रकाशन के उद्देश्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तालुक, जिले एवं राज्य स्तर पर स्वीप कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं, राजनैतिक दलों के साथ एक से अधिक एवं आवधिक बैठकें और नियमित प्रेस बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों के साथ अलग-अलग बैठक करेंगे और प्रारूप प्रकाशन की तारीख से पहले अनुसूची की व्याख्या करेंगे और उनसे अपेक्षित सहयोग मांगेंगे। प्रारूप प्रकाशन उत्साह के साथ नियत तारीख को हो जाना चाहिए एवं प्रारूप नामावलियों की प्रतियां जन सभा में प्रेस, मीडिया एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में राजनैतिक दलों को सौंप देनी चाहिए। किसी भी स्थिति में उपयुक्त पावती रसीद अवश्य प्राप्त की जाए एवं रिकार्ड में रखी जाए।

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्रत्येक मतदान बूथ/केन्द्रों के लिए एक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त/चिह्नित करने के लिए अनुरोध करेंगे जो विशिष्ट प्रचार तारीखों पर नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए विशिष्ट प्रचार अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सम्बद्ध होंगे। इन विशिष्ट प्रचार अभियान तारीखों पर, बूथ लेवल अधिकारी संबंधित राज्य के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ प्रारूप निर्वाचक नामावली की ध्यान से जांच करेगा और सुधारों आदि को चिह्नित करेगा। यह उल्लेख करना संगत है कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा एक बार नियुक्त बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल एजेंट के रूप में तब तक रहेगा जब तक उनकी नियुक्ति संबंधित राजनैतिक दल द्वारा निरस्त/रद्द नहीं कर दी जाती है।

6. डिवीजनल आयुक्त जो अपने डिवीजन में आने वाले जिलों में निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे, के अतिरिक्त, आयोग, निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया की यादृच्छिक जांच एवं पर्यवेक्षण के लिए अपने प्रेक्षकों/भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों/नामावली लेखा-परीक्षकों को नियुक्त कर सकता है। इसलिए, यह बहुत ही जरूरी है कि नामावली लेखा-परीक्षा संबंधित रिकार्ड हर समय अद्यतनीकृत होने चाहिएं और प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ उस स्थान की अवस्थिति की सूची जहां पर फील्ड ऑपरेशन प्रगति पर हैं, उनको उपलब्ध करवानी चाहिए।

7. प्रारूप प्रकाशन से ठीक पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को अपनी सुविचारित टिप्पणियों तथा व्याख्यापरक ज्ञापन सहित निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में इस हेतु निर्धारित फार्मेट 1-8 में निर्वाचकों संबंधी सूचना प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने जिले/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए इसी प्रकार का अध्ययन करेंगे और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करेंगे और नामावली प्रेक्षक/मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ हेतु इसे पहले से तैयार रखेंगे।

8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए पहले से ही आयोग की लिखित अनुमति लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा फार्मेट 1-8 सहित आयोग को इस संबंध में **20 दिसंबर, 2015** तक अनुरोध किया जाएगा और उल्लेख किया जाएगा कि कैसे फार्मेट

1-8 तथा ज्ञापन/नोट के साथ अनवरत अद्यतनीकरण के दौरान किसी कमी को पूरा करने के लिए कार्यनीति बनाई गई और नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। इसे किसी भी हाल में अंतिम प्रकाशन की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कर लेना चाहिए ताकि अंतिम प्रकाशन से कम से कम 3 दिन पहले आयोग की अनुमति संसूचित की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृपया नोट करें कि यह टिप्पणी उपलब्ध न कराने पर आयोग द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाएगी।

9. इसके अतिरिक्त यह भी नोट कर लिया जाए कि पुनरीक्षण के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार तथा स्पष्टीकरण भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव/सचिव (राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के प्रभारी) को संबोधित किए जाएंगे जो कि न केवल संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अविलंब जवाब देंगे परंतु यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रभार के अधीन आने वाले राज्यों के नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है। वे बहुत सूक्ष्मता से पुनरीक्षण-पूर्व क्रियाकलापों तथा अपने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम का अनुवीक्षण करेंगे, इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नियमित अंतराल पर, पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट अग्रेषित करते रहनी होगी।

10. पणधारियों को सुविधा देने तथा निर्वाचक पंजीकरण प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, कंप्यूटरीकरण का चलन और फार्म 6, 6क, 7, 8 तथा 8क में प्राप्त सभी आवेदन फार्मों को दिन-प्रतिदिन आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डालना जारी रहेगा। प्रत्येक आवेदन फॉर्म की स्थिति सूची की प्रत्येक कतार में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इसके

अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाने वाले वेब-आवेदन में यह सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए कि सूची में किसी भी कतार पर क्लिक करने पर किसी भी नागरिक द्वारा संबंधित आवेदन प्रपत्र प्रिंट किए जा सकें।

11. **भारत निर्वाचन आयोग के डैशबोर्ड पर उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान की गई प्रगति की आयोग को आवधिक रिपोर्टिंग उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमित रूप से की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ई-नामावली अनुवीक्षण हेतु डैश बोर्ड में और ऑल इंडिया ई-नामावली अनुवीक्षण एप्लीकेशन (एआईआरएमए) में आवश्यक प्रविष्टियां करें। आयोग ने सामान्य रूप में यह पाया है कि इस संबंध में परिहार्य शिथिलता है। सभी के द्वारा पूर्ण अनुपालन के लिए यह दोहराया जाता है कि डैश बोर्ड को अद्यतनीकृत रखा जाना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाईयां शुरू करेंगे।**

12. राजनैतिक दलों की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ताओं को बड़ी संख्या में आवेदन जमा कराने की अनुमति दी है बशर्ते बूथ लेवल अभिकर्ता (एजेंट) एक बार में/एक दिन में बूथ लेवल अधिकारी को 10 से अधिक फार्म जमा नहीं करवाएंगे। यदि बूथ लेवल अभिकर्ता दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूरी अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन/प्रपत्र जमा कराते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं ही प्रति-सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बूथ लेवल एजेंट घोषणापत्र सहित आवेदन प्रपत्रों की सूची भी जमा करवाएंगे कि उन्होंने आवेदन फार्म के ब्योरों का निजी तौर पर सत्यापन कर लिया है और वे इसकी यथातथ्यता के संबंध में संतुष्ट हैं।

<u>इस कार्य के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दोहराए/निर्धारित किए जाते हैं</u>:-

13. दावे और आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन - **(क)** प्राप्त किए गए सभी दावों और आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए ताकि राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों सहित कोई भी सूची देख सकें और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति दाखिल कर सकें। इसके अतिरिक्तः-

i. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तथ्य के संबंध में पर्याप्त प्रचार किया जाए कि दावों और आपत्तियों की सूची उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस सूची के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्तियां की जा सकती हैं।

ii. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को राजनैतिक दलों के साथ बैठक करनी चाहिए और उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर दावों और आपत्तियों की सूची प्रकाशित करने

तथा दावों और आपत्तियों के निपटान के बारे में आयोग के नवीनतम अनुदेशों के बारे में सूचित करना चाहिए।

iii. राजनैतिक दलों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर दावों और आपत्तियों की सूची के प्रकाशन के संबंध में सूचित करना चाहिए।

iv. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों को दावों और आपत्तियों की सूची साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सभी राजनीतिक दलों की नियमित अंतराल पर बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें दावों और आपत्तियों की सूची व्यक्तिगत रूप से सौंपनी चाहिए और पावती प्राप्त करनी चाहिए। यह भी जोड़ा जाए कि सूची संचयी न होकर बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए।

ख. दावों और आपत्तियों पर निर्णय-दावों और आपत्तियों पर केवल तभी निर्णय लिए जाने चाहिएं जबकि निम्नलिखित में से सभी पूरे कर दिए जाएं-

i. दावों और आपत्तियों की सूची निम्नलिखित में से सभी पर प्रकाशित होने के बाद कम से कम सात सुस्पष्ट दिन बीत गए हों -

(1) सीईओ की वेबसाइट, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए क्लिक करने योग्य सूचियों के रूप में।

(2) ईआरओ का नोटिस बोर्ड (आरईआर 1960 के फार्म 9, 10, 11 और 11क में)

(3) मतदान केन्द्र के नोटिस बोर्ड (आरईआर 1960 के फार्म 9, 10, 11 और 11क में)

(4) मृत्यु मामलों से इतर ऐसे सभी मामलों में उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नोटिस तामील कर दिया है जिसका नाम हटाए जाने का प्रस्ताव है।

ii. ईआरओ द्वारा राजनीतिक दलों के दावों और आपत्तियों की सूची दिए जाने के बाद कम से कम सात सुस्पष्ट दिन बीत गए हों।

iii. मृत्यु के कारण हुए सभी विलोपन, ईआरओ की संतुष्टि के अनुरूप तथ्यों का पता लगाए जाने के बाद ही किए जाने हैं।

ग. विलोपनों पर निर्णयों से पहले सत्यापन-

i. सभी विलोपन, सिवाय उसके जो निर्वाचक की मृत्यु के कारण किए गए थे, फार्म 7 में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए जिनका रैंक तहसीलदार से कम न हो।

ii. विलोपनों के सभी मामले उस परिस्थिति में ईआरओ के वरीय अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए जब वे निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आते हों:-

(1) ऐसे मतदान केन्द्रों में विलोपन जिनके विलोपनों की संख्या मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची में कुल निर्वाचकों के 2% से अधिक न हो।

(2) ऐसे विलोपन जिनमें एक ही व्यक्ति 5 से अधिक मामलों में आपत्तिकर्ता हो।

iii. विलोपनों के मामले, सिवाय निर्वाचक की मृत्यु के कारण हुए विलोपनों के, जिनमें ईआरओ द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रति-सत्यापित किए जाने चाहिए :-

(1) डिप्टी डीईओ या समतुल्य अधिकारी द्वारा 2% सत्यापन

(2) डीईओ द्वारा 2% सत्यापन

(3) नामावली प्रेक्षक द्वारा 0.5% सत्यापन

घ. अनुवीक्षण - सीईओ के पोर्टल में निर्वाचक नामावली अनुवीक्षण आवेदन में यथा-उपलब्ध विहित फार्मेट में अनुवीक्षण रिपोर्ट सीईओ/डीईओ/ईआरओ, यथा मामला द्वारा आवधिक रूप में अद्यतनीकृत की जाएगी। सीईओ रिपोर्ट का संकलन करेंगे और उसे अपनी टिप्पणियों के साथ भेजेंगे। डीईओ/सीईओ सुनिश्चित करेंगे कि सीईओ के पोर्टल के माध्यम से ईसीआई पोर्टल में ऑल इंडिया ई-नामावली अनुवीक्षण एप्लीकेशन में डाटा एंट्री की जाए।

14 **यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नरपैप कार्यकलाप भी पुनरीक्षण के साथ-साथ चलते रहेंगे। हालांकि इसके कारण से नामावली पुनरीक्षण कार्यकलापों, जो सांविधिक स्वरूप की हैं, का कोई विपथन नहीं होगा। प्रारूप प्रकाशन के समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस समय तक नरपैप कार्यकलापों में हुई प्रगति पर एक नोट भेजेंगे। प्रचार सामग्रियों में, दोनों ही कार्यकलापों पर उपर्युक्त तरीके से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।**

15 मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को पुनरीक्षण की प्रक्रिया तथा विधि के मुख्य बिंदुओं के संबंध में सूचित करते हुए लिखना चाहिए तथा नामावली पुनरीक्षण कार्य में उनका सहयोग मांगना चाहिए। उन्हें जारी पत्र की एक प्रति रिकार्ड के लिए आयोग को संलग्न की जाए।

16. उनके लिए जो 18+$ का हो जाने के आधार पर पहली बार पंजीकृत हो रहे हैं, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की तैयारी 20 जनवरी, 2016 तक कर ली जाए और इसे 25 जनवरी, 2016, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पर इनके औपचारिक वितरण हेतु 22 जनवरी, 2016 तक इन्हें बी एल ओ/ई आर ओ/ डी ई ओ इत्यादि को सौंप दिए जाएं।

17. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि संचार के त्वरित और यथार्थ आदान-प्रदान हेतु वे ई-मेल सुविधा का व्यापक प्रयोग करें।

18. तत्काल उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस पत्र की एक प्रति परिचालित की जानी चाहिए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव

श्रेणी क

आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और बिहार को छोड़कर शेष भारत के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	15.09.2015 (मंगलवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	15.09.2015 (मंगलवार) से 14.10.2015(बुधवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	16.09.2015 (बुधवार) और 30.09.2015 (बुधवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	20.09.2015 (रविवार) और 04.10.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	16.11.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	15.12.2015 (मंगलवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

श्रेणी ख

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	01.09.2015 (मंगलवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	01.09.2015 (मंगलवार) से 18.09.2015 (शुक्रवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	03.09.2015 (गुरूवार) और 10.09.2015 (गुरूवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	06.09.2015 (रविवार) और 13.09.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	09.11.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	23.12.2015 (बुधवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	05.01.2016 (मंगलवार)

श्रेणी ग

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	05.10.2015 (सोमवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	05.10.2015 (सोमवार) से 04.11.2015 (बुधवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	07.10.2015 (बुधवार) से 28.10.2015 (बुधवार) तक
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	11.10.2015 (रविवार) से 01.11.2015 (रविवार) तक
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	04.12.2015 (शुक्रवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	31.12.2015 (गुरुवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार) को

गोवा और महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	01.10.2015 (गुरुवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	01.10.2015 (गुरुवार) से 31.10.2015 (शनिवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	07.10.2015 (बुधवार) और 14.10.2015 (बुधवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	11.10.2015 (रविवार) और 17.10.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	30.11.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	24.12.2015 (गुरुवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	16.01.2016 (शनिवार) को

नागालैण्ड के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	01.10.2015 (गुरुवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	01.10.2015 (गुरुवार) से 31.10.2015 (शनिवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	03.10.2015 (शनिवार) और 20.10.2015 (मंगलवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	10.10.2015 (शनिवार) और 24.10.2015 (शनिवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	16.11.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	15.12.2015 (मंगलवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

उत्तराखण्ड के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	01.10.2015 (गुरुवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	01.10.2015 (गुरुवार) से 20.10.2015 (मंगलवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	07.10.2015 (बुधवार) और 14.10.2015 (बुधवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	11.10.2015 (रविवार) और 18.10.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	16.11.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	15.01.2016 (शुक्रवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	20.01.2016 (बुधवार)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	01.10.2015 (गुरुवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	01.10.2015 (गुरुवार) से 30.10.2015 (शुक्रवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	06.10.2015 (मंगलवार) और 10.10.2015 (शनिवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	11.10.2015 (रविवार) और 18.10.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	30.11.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	15.12.2015 (मंगलवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

मणिपुर के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	01.10.2015 (गुरुवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	01.10.2015 (गुरुवार) से 30.10.2015 (शुक्रवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	03.10.2015 (शनिवार) और 17.10.2015 (शनिवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	11.10.2015 (रविवार) और 25.10.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	25.11.2015 (बुधवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	15.12.2015 (मंगलवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

गुजरात के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	26.10.2015 (सोमवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	26.10.2015 (सोमवार) से 19.11.2015 (गुरूवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	29.10.2015 (गुरुवार) और 05.11.2015 (गुरुवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	01.11.2015 (रविवार) और 08.11.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	19.12.2015 (शनिवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	06.01.2016 (बुधवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

श्रेणी घ

उत्तर प्रदेश के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	02.11.2015 (सोमवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	02.11.2015 (सोमवार) से 30.11.2015 (सोमवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	03.11.2015 (मंगलवार) और 17.11.2015 (मंगलवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	08.11.2015 (रविवार) और 22.11.2015 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	21.12.2015 (सोमवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	05.01.2016 (मंगलवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

केरल के लिए विशिष्ट सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची

क्रम. सं.	पुनरीक्षण के चरण	चरण के लिए दी गई अवधि
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का मसौदा प्रकाशन	02.11.2015 (सोमवार)
2.	दावें और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अवधि	02.11.2015 (सोमवार) से 30.11.2015 (सोमवार) तक
3.	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों एवं आर डब्ल्यू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अंश को पढ़ना एवं नामों का सत्यापन	04.11.2015 (बुधवार) और 18.11.2015 (बुधवार)
4.	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेटों के साथ विशिष्ट अभियान की तारीख	ऑनलाइन सेवाओं की 24 घंटे उपलब्धता होने के कारण अपेक्षित नहीं है।
5.	दावें एवं आपत्तियों का निपटान	10.12.2015 (गुरुवार) तक
6.	डाटाबेस को अद्यतित करना, फोटोग्राफ का आमेलन करना, कंट्रोल टेबलों को अद्यतित करना एवं पूरक सूची को तैयार करना और मुद्रित करना	28.12.2015 (सोमवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	11.01.2016 (सोमवार)

अनुबंध-क

पुनरीक्षण-पूर्व कार्यकलापों के लिए दिशा-निर्देश

मतदान केन्द्रों का युक्तीकरण, निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से पहले की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। अंतिम समय पर होने वाली जल्दबाजी से बचने के लिए किसी भी निर्वाचन से पहले मतदान केन्द्रों को तैयार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण करना बेहतर होगा। चूंकि मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के लिए राजनैतिक दलों के साथ उचित रूप से विचार-विमर्श अपेक्षित होता है और युक्तिकरण करने संबंधी निर्णय लेने से पहले प्रत्येक मतदान केन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया जाता है। आयोग ने इस विषय पर समय-समय पर अनुदेश जारी किए है।

2क. मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का एक बार पुनः नीचे उल्लेख किया जाता है:-

सभी विद्यमान मतदान केन्द्रों का निरीक्षण यह पता लगाने के लिए अवश्य किया जाए कि-

- क्या भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में या संकटपूर्ण स्थिति में है;
- क्या मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है;
- क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए नदी/नहरें/बीहड इत्यादि पार करने पड़ते है;
- क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए 2 कि.मी. से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़ती है;
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केन्द्र लोकेशन पर 2 से अधिक मतदान केन्द्र या शहरी क्षेत्रों में 4 से अधिक मतदान केन्द्र हैं;
- क्या मतदान केन्द्र निजी भवन में स्थित है। मतदान केन्द्र सरकारी/अर्धसरकारी भवन, अधिमानतः विद्यालय में होना चाहिए;
- क्या मतदान केन्द्र किसी पुलिस थाना/अस्पताल/धर्मशाला/मंदिर या धार्मिक स्थान में स्थित है;
- क्या मतदान केन्द्र प्रथम तल पर या इससे ऊपर स्थित है;
- क्या किसी राजनीतिक दल का कार्यालय मतदान केन्द्र परिसर से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है;
- ऐसे इलाके जहां प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों जैसे-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं, वहां मतदान केन्द्र ऐसे इलाके में इस प्रकार से स्थित होना चाहिए कि ऐसे समुदाय मतदान केन्द्र में पहुंचने तथा अपना मत डालने से वंचित न रह सकें। यदि अपेक्षित हो तो मतदान केन्द्र निर्वाचकों की

संख्या पर ध्यान दिए बिना ऐसे समुदायों के निवास स्थान वाले इलाके में बनाया जाए। जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में लिखित में एक विशेष रिपोर्ट देनी चाहिए। इनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों से भी इनपुट प्राप्त किया जाना चाहिए।

- क्या मतदान केन्द्र कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र 20 वर्ग मीटर है तथा क्या इसमें दो दरवाजे हैं;
- क्या भवन में बिजली की व्यवस्था है;
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैम्प की व्यवस्था की गई है;
- क्या मतदान केन्द्र परिसर में शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं;
- क्या मतदाताओं को धूप तथा वर्षा से बचाने के लिए छाया है;
- क्या मतदान केन्द्र में टेलीफोन की सुविधा है, यदि हां तो उसका फोन नम्बर क्या है,
- क्या विद्यमान मतदान केन्द्र सूची में मतदान केन्द्र के इलाके को सही प्रकार से उल्लिखित किया गया है; (यदि नहीं तो कृपया इसका उल्लेख करें)। इसके अतिरिक्त, जहां तक संभव हो सके मतदान केन्द्र के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित गांव/इलाके एक प्रशासनिक इकाई जैसे थाना/फिरका/पटवारी सर्किल इत्यादि के अंतर्गत होने चाहिए।

2ख. सूचना एकत्र करना तथा कंट्रोल टेबल डाटाबेस पर इसे अद्यतित करना - जांच तथा प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए उपरोक्त मदों पर सूचना प्राप्त की जानी चाहिए। इस सूचना को भारत निर्वाचन आयोग के कंट्रोल टेबल डाटाबेस के मतदान केन्द्रों की तालिका में अद्यतित किया जाना चाहिए, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर एक वेब एप्लीकेशन उपलब्ध करा दिया गया है। इस सूचना को एकत्र करने के पश्चात नए मतदान केन्द्रों को बनाए जाने का निर्णय विवेकपूर्ण रीति से लिया जा सकता है।

2ग. नए मतदान केन्द्रों का सृजन -

नए मतदान केन्द्रों के सृजन का प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जाए:

- किसी मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचकों की इष्टतम संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 1200 तथा शहरी क्षेत्रों के मामले में 1400 है। तथापि, विभिन्न मुद्दों के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुए, आयोग से उनके द्वारा प्रस्तावित निम्नतर अथवा उच्चतर सीमा के अनुमोदन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- निर्वाचक नामावली के भाग को उपयुक्त तरीके से विभाजित करते हुए, सभी विद्यमान सहायक मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

नए मतदान केन्द्रों को प्रस्तावित करने के लिए कुछ मानदण्ड इस प्रकार हो सकते हैं:-

- यदि किसी गांव में 300 से अधिक निर्वाचक हैं तथा मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध है तो नया मतदान केन्द्र प्रस्तावित किया जा सकता है।
- अति संवेदनशीलता को देखते हुए यदि ऐसा करना अनिवार्य हो।
- यदि किसी नई कॉलोनी में निवासियों की इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है तो नया मतदान केन्द्र सृजित किया जा सकता है।
- किसी मतदान केन्द्र को निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र सुसम्बद्ध होना चाहिए।
- रिटर्निंग अधिकारियों का राजनीतिक दलों के साथ परामर्श तथा मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी एवं उसके प्रकाशन से संबंधित हैंडबुक में निहित सभी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक अवश्य पालन किया जाए।
- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों के सत्यापन तथा युक्तिकरण के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदान केन्द्रों के संबंध में राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक रूप से जांच की जानी चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त उत्तर देते हुए उनका निपटान किया जाना चाहिए।
- सम्पूर्ण कार्य पूरी तरह से सांविधिक प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशो के आलोक में दी गई समय सीमा के भीतर तथा व्यावसायिक रीति से बिना भय या पक्षपात के किया जाए।
- मतदान केन्द्रों का इस प्रकार से युक्तिकरण किए जाने के पश्चात मतदान केन्द्रों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन अनिवार्य नहीं रह जाने चाहिएं।
- माओवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों को प्रस्तावित करते समय निर्वाचनों के संचालन के लिए भेजे गए मतदान दलों तथा पुलिस बलों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, इन क्षेत्रों में मतदान केन्द्र ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिएं जहां सुगमतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप से पहुंचा जा सके। यह उपयोगी होगा यदि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध बलों की कार्यक्षमता को सर्वाधिक करने और उन्हें गतिशीलता प्रदान करने के लिए मतदान केन्द्रों को समूहों में उपलब्ध करावाया जाए।

2घ. आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया -

मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिए:-

- मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट में राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी प्रस्तावों का

उल्लेख किया जाना चाहिए तथा यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि प्रस्ताव स्वीकृत किया गया या नहीं। यदि राजनीतिक दलों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो रिपोर्ट में इनके स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में एक विशेष खण्ड इस आशय का होना चाहिए कि यह कैसे सुनिश्चित किया गया है कि समाज के अतिसंवेदनशील वर्ग बिना किसी धमकी या डर के, मतदान केन्द्रों में निर्बाध रूप से पहुंच सकें।

- प्रस्ताव में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्तों की प्रतियां होनी चाहिए जिनमें मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के मामले की चर्चा की गई हो। प्रस्ताव में विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों के कौन से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए हैं तथा इसके कारणों का भी उल्लेख किया जाए।
- प्रस्ताव में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि कोई भी मतदान केन्द्र किसी जीर्ण-शीर्ण भवन या धार्मिक स्थान अथवा राजनीतिक दल के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर नहीं है।
- प्रस्ताव में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि प्रस्तावित मतदान केन्द्रों में सभी आधारभूत संरचना जैसे-रैम्प, पीने का पानी, शौचालय की सुविधा, छाया तथा आश्रय इत्यादि उपलब्ध हैं।
- युक्तिकृत मतदान केन्द्रों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजने से पहले "भारत निर्वाचन आयोग कंट्रोल टेबल डाटाबेस" में कंट्रोल टेबल को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अवश्य अद्यतित किया जाए। अद्यतित "ई सी आई कन्ट्रोल टेबल्स डाटाबेस" से मतदान केन्द्रों की सूची का एक प्रिंट आउट भी प्रस्ताव के साथ शामिल किया जाना चाहिए।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने राज्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से विद्यमान मतदान केन्द्रों के लिए 100% प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं। केवल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने तथा विद्यमान अनुदेशों के अनुसार इसे प्रकाशित करने के पश्चात ही निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की नई संशोधित सूची के अनुसार किया जाएगा।

4. **निर्वाचक नामावली में डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए डी-डुप्लीकेशन अभियान:**

देश में विशुद्ध निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु आयोग के प्रयासों के बावजूद भी निर्वाचक नामावलियों में डुप्लीकेटों की संज्ञेय संख्या मौजूद होने के कारण समय-समय पर आयोग को शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे डुप्लीकेटों को ढूंढने के उद्देश्य से आयोग द्वारा एस क्यू एल सर्वर पर आधारित एक सॉफ्टवेयर टूल तैयार किया गया था तथा संभावित डुप्लीकेटों की पहचान के लिए सभी राज्यों को दिया गया था। पायथन पर आधारित सॉफ्टवेयर निर्वाचक नामावलियों में संभावित डुप्लीकेटों की पहचान के लिए दिए गए हैं। यह टूल आयोग के सर्वर पर निम्नलिखित लोकेशनों में रखा गया है - FTP Server: ftp://164.100.34.8/तथा प्रयोगकर्ता का नाम: Administrator,

पासवर्ड : 12 Oct @sysnet तथा फोल्डर का नाम : De-duplication (Python) है। आयोग ने निदेश दिया है कि इन सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रयोग निर्वाचक नामावलियों में संभावित डुप्लीकेटों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि समूचे सीमावर्ती राज्य की सीमाओं में निर्वाचक नामावली में डी-डुप्लीकेशन के लिए डाटा एकत्र किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए डी-डुप्लीकेशन डाटा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव इत्यादि सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अन्य क्षेत्रों से एकत्र किए गए डाटा से मिलान अवश्य किया जाए।

इसी प्रकार बड़े शहरों तथा मेट्रोपोलिटन शहरों के समीप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डी-डुप्लीकेशन अवश्य किया जाए।

एक बार संभावित डुप्लीकेटों को चिह्नित किए जाने के पश्चात इन्हें फोटोग्राफ सहित एक के नीचे दूसरा रूप में मुद्रित किया जाना चाहिए। तब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पता लगाने के लिए कि क्या फोटो मेल खाता है, इसे देखकर फोटो का मिलान करना चाहिए। यदि फोटो मेल खाते हैं तो रिकार्ड डुप्लीकेट होने की संभावना बहुत अधिक है।

ऐसे मामले जहां फोटो मेल खाते हैं, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा उन्हें अवश्य सत्यापित किया जाए तथा यदि ये वास्तविक डुप्लीकेट पाए जाते हैं तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यक्ति का नाम उस स्थान से हटा दिया जाना चाहिए जहां का वह साधारणतया निवासी नहीं हैं

उन मामलों में जहां नामावलियां विभिन्न भाषाओं में हैं, वहां सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए राज्य सीमाओं का डी-डुप्लीकेशन संभव नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर निर्वाचक नामावलियों के प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा समूचे राज्य में केवल सीमा से लगे मतदान केन्द्रों का डी-डुप्लीकेशन किया जाए।

5. ऐसे अवशिष्ट निर्वाचकों के लिए फोटोग्राफी अभियान जिनके फोटो नामावली में उपलब्ध नहीं हैं। (शेष रह गए निर्वाचकों के फोटो एकत्र करने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाना)

देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही अधिकाधिक निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तथा फोटो निर्वाचक नामावली हैं। अनेक राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों ने पहले से ही 100% निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तथा फोटो निर्वाचक नामावली कवरेज प्राप्त किया हुआ है। आयोग यह अपेक्षा करता है कि सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा यथाशीघ्र 100% निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तथा फोटो निर्वाचक नामावली कवरेज प्राप्त कर ली जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जानी चाहिए:-

ऐसे राज्य जहां 100% फोटो निर्वाचक नामावली कवरेज प्राप्त नहीं किए गए हैं, वहां अभियान के माध्यम से अवशिष्ट निर्वाचकों के फोटोग्राफ लिए जाने चाहिएं। इसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए:-

- निर्वाचक नामावली डाटाबेस से मतदान केन्द्रवार शेष रह गए निर्वाचकों की सूची का प्रिन्ट आउट लिया जाना चाहिए।
- उन मतदान केन्द्रों के लिए विशेष फोटोग्राफी शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनमें शेष रह गए निर्वाचकों की संख्या अधिक है।
- बूथ लेबल अधिकारी को शेष रह गए निर्वाचकों के फोटो एकत्र करने के लिए घर-घर जाकर फोटो एकत्रित करने के लिए कहा जाना चाहिए, इसके पश्चात् उन्हें स्कैन करके निर्वाचक नामावली डाटाबेस में मिला दिया जाना चाहिए।
- यदि बूथ लेबल अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि कुछ निर्वाचक बाहर गए हुए हैं; तो उनके रिश्तेदारों या मित्रों से ऐसे मतदाताओं के फोटो डाक द्वारा मंगवाने के लिए कहा जा सकता है।
- शेष रह गए निर्वाचकों के फोटो, अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे मनरेगा आदि के फोटो डाटाबेसों से प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है।

6. प्रारूप निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के तुरंत बाद, इसे लोक व्यापी रूप में उपलब्ध करवाने से पहले निम्नलिखित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित योजना तैयार की जाए:-

क. अपनी वेबसाइट/पोर्टल पर नाम तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या द्वारा सर्च करने की सुविधा।

ख. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या का प्रयोग करते हुए एस एम एस पूछताछ सर्च।

ग. शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में ऑफलाइन सर्च।

घ. मतदाताओं के बीच प्रचार के साथ निम्नलिखित सेवाओं को पूर्णरूप से सक्रिय किया जाए:-

(क) आयोग की नागरिक सेवा वेबसाइट।

(ख) टोल फ्री संख्या 1950 सहित कॉल सेंटर।

(ग) ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा।

ङ. सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, एन एस एस और एन वाई के एस, मीडिया, दूरदर्शन और आकाशवाणी, क्षेत्रीय प्रसार विभाग, डीएवीपी, सिविल सोसाइटियों, युवा संगठनों आदि सहित भागीदार संगठनों के साथ स्वीप की विस्तृत कार्य योजना।

च. स्वीप क्रियाकलापों के तौर पर राज्य का एक युवा आइकॉन निर्धारित किया जाना चाहिए जो युवाओं को उन्हें एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करने के लिए प्रेरित करे। होर्डिंग्स के लिए रचनाशील सामग्री, मीडिया विज्ञापन और प्रचार के अन्य माध्यम तैयार किए जाने चाहिएं।

छ. प्रचार अभियान की सम्पूर्ण अवधि के लिए साइबर स्पेस और भौतिक जगत, दोनों में कार्यक्रमों की विस्तृत योजना तैयार करना।

ज. प्रत्येक इलाके में अपने बूथ लेवल अधिकारी को जानने संबंधी प्रचार अभियान आयोजित किए जाने चाहिएं ताकि प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को अपने क्षेत्र के मतदाता भली भांति जान सकें।

झ. सभी बूथ लेवल अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए प्रेरणाप्रद एवं ज्ञान आधारित प्रशिक्षण अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए। अभियान की सफलता के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को अभिप्रेरित होना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, पारिश्रमिक/नकद प्रोत्साहन, पहचान पत्रों, नाम पट्टों और अन्य प्रेरणादायक उपायों संबंधी आयोग के विद्यमान अनुदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ञ. रेजिडेण्ट वेलफेयर एसोशिएशन (आर डब्ल्यू ए) के साथ विस्तृत सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। बूथ लेवल स्वयंसेवकों (बीएलवी) को बैठक में उनकी भूमिका के बारे में बतलाया जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप, आर डब्ल्यू ए की सहायता से प्रत्येक कॉलोनी में उचित मतदाता फैसिलिटेशन अभियान आयोजित किया जाना चाहिए।

ट. शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक में, प्राचार्यों को प्रवेश अभिलाषी विद्यार्थियों को प्रवेश फार्मों के साथ खाली फार्म-6 बांटने चाहिए और प्रवेश फार्म के साथ फार्म-6 भरने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। सभी पात्र छात्रों से फार्म-6 एकत्रित करने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक अध्यापक को नोडल अधिकारी बनाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस संस्थान में उनके माध्यम से ही नाम शामिल किए जाएं और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरित किए जाएं।

ठ. विभिन्न सिविल सोसाईटी संगठनों के सहयोग/सहकारिता के लिए विस्तृत कार्य योजना पर कार्य किया जाना चाहिए।

7. इसके अतिरिक्त निदेश दिया जाता है कि:-

क. आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. 23/फार्म/2015-ईपीएस में निहित अनुदेशों के अनुसरण में छिद्रित उप-भागों सहित सभी फार्मों जैसे फार्म 6, 7, 8, 8क और 6क केवल मुद्रित किए जाते हैं और पुनरीक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आवेदन में आवेदकों के आधार संख्या के क्षेत्र को भरने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं, यद्यपि, इस उद्देश्य के लिए आवेदकों पर जोर नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यह वैकल्पिक है और आधार संख्या का न प्रस्तुत करना किसी भी मामले में फार्म को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा।

ख. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि 10 बूथ लेवल अधिकारियों के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है और उनकी भूमिका पर उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

ग. बूथ लेवल अधिकारियों को बड़े शहरों और महानगरीय क्षेत्रों के घरों में सुबह एवं शाम को क्षेत्रीय निरीक्षण करने के लिए कहा जाना चाहिए और न कि दिन के समय निरीक्षण करने के लिए। यदि निरीक्षण के दौरान वे किसी घर को बंद पाते हैं तो उन्हें दरवाजे पर स्टीकर चिपका देना चाहिए जिसमें अन्य के साथ-साथ यह उल्लिखित होना चाहिए:-

घ. "मैं निर्वाचक नामावली में आपका/आपके परिवार के सदस्यों का नाम सत्यापित करने के लिए आया था परन्तु आप उपलब्ध नहीं थे। कृपया आप मुझे..... (नाम).....(मो.सं.) रविवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच..... .....(कार्यालय पता) पर संम्पर्क करें।"

ङ. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि घर-घर जाकर सत्यापन की अवधि के दौरान प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक रविवार को संबंधित वार्ड कार्यालय में एक फोटोग्राफर के साथ उपस्थित रहे और उस फोटोग्राफर द्वारा ऐसे शेष रह गए निर्वाचकों जो वहां जाते हैं, की फोटो ली जाए।

च. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो मोबाईल वैनों का प्रबंध किया जाएगा जिसमें एक कार्मिक, एक फोटोग्राफर सहित और नामावली की एक प्रति और फार्मों की पर्याप्त मात्रा के साथ उपलब्ध होना चाहिए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सहित, वैन का रूट चार्ट कि निश्चित समय पर वैन किस निर्धारित स्थान पर होगी, का विस्तृत प्रचार किया जाएगा। इसकी एक प्रति राजनैतिक दल की स्थानीय ईकाई के साथ-साथ वार्ड सदस्य एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को भी दी जाएगी।

छ. जब एसएमएस आधारित प्रश्न का उत्तर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो उस उत्तर में विशिष्ट रूप से उस क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी का नाम एवं मोबाईल संख्या अनिवार्य रूप से निहित होना चाहिए।

ज. फार्म में किसी दावे/आपत्ति पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय को, निरपवाद रूप से फार्म के छिद्रित उप-भाग में से फाड़कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

8. इस प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट 1 से 8 तक का प्रयोग करते हुए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण न केवल प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर बल्कि मतदान केन्द्र स्तर पर किया जाना चाहिए। इन विश्लेषण के आधार पर, संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारी द्वारा औसत/समस्याओं के विचलन वाले मतदान केन्द्रों की पहचान की जानी चाहिए और पूर्व वर्षों के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक योजना सहित सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्येक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त इनपुटों के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्पूर्ण राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए कार्य योजना का संकलन करेंगे।

9. सभी रिकार्ड हर समय अद्यतित होने चाहिएं और प्रगति रिपोर्ट के साथ लोकेशनों की सूची जहां पर फील्ड ऑपरेशन प्रगति पर हैं, संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

यह नोट किया जाए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2016 के लिए पुनरीक्षण-पूर्व एवं पुनरीक्षण क्रियाकलापों से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए सभी पत्र व्यवहार एवं अनुरोध, आयोग में राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रभारी सचिव को संबोधित किए जाएंगे, जो आयोग के आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे और उन्हें संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करेंगे। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ संबंधित राज्य के प्रभारी सचिव भी उन राज्यों में नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चूक के लिए जिम्मेवार ठहराए जाएंगे।

10. कृपया उपर्युक्त सभी के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए और तत्काल आयोग के सूचनार्थ भेजी जाए।

11. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग पुनरीक्षण-पूर्व के प्रत्येक क्रियाकलाप का ध्यान से अनुवीक्षण करेगा। अतः सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक बार पुनः निदेश दिया जाता है कि वे आयोग में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रभारी सचिव को उक्त क्रियाकलापों के पूर्ण होने तक प्रत्येक स्तर पर सूचित करेंगे और समय-सारणी के अनुसार प्रगति रिपोर्ट देते रहेंगे। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी केवल आयोग की सूचना के अधीन अपना मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं।

12. इसके अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों एवं सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि संचार के तुरंत एवं सही विनियम के लिए व्यापक रूप से ई-मेल का प्रयोग करें।

13. इस पत्र की एक प्रति राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तत्काल उचित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिचालित की जाए।

14. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पूर्व-क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध करवाई गई समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साप्ताहिक आधार पर उपरोक्त क्रियाकलापों पर प्रगति रिपोर्ट आयोग को डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए और आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित आवेदन में भी डाटा प्रविष्ट करें। स्वीप क्रियाकलापों के लिए, त्रुटियों एवं डुप्लीकेट और फोटो संकलन, रिपोर्टिंग फार्मेट संलग्न कर दिए गए हैं जिनमें साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट की जानी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित आवेदन में डाटा प्रविष्टियां भी की जाए।

-x-x-x-